

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/162852/SDN/SIDDHARTH NAGAR/798/CFO

दिनांक: 23-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स SARLA INTERNATIONAL ACADEMY (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता POLT NO 842MI, BHIMAPAR NAUGARH, SIDDHARTH NAGAR तहसील - NAUGARH, प्लॉट एरिया 7075.39 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 3300.51 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	10.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स SARLA INTERNATIONAL ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 25-06-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SUYASH JAISWAL के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 26-06-2025 से 25-06-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स SARLA INTERNATIONAL ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स SARLA INTERNATIONAL ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या के क्रम में शासनादेश संख्या-18 /छः-पु०-8 -2022/905-34 -201टी०सी०दिनांक 07 -01 -2022 एवं उ0प्र0अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों के आधार पर निर्गत।

- भवन स्वामी द्वारा प्रत्येक 06 माह में फायर इवेक्वेशन / माकड्रिल व अग्निशमन प्रशिक्षण स्थानीय फायर स्टेशन प्रभारी के पर्यवेक्षण में कराकर रिकार्ड रखें जायेंगे
- फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0 / मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये।
- विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(YATINDRA NATH)

[3AE69CB8601B8602CFB2507A69D0EF386F719C3D]

26-06-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-06-2025

स्थान : SIDDHARTH NAGAR